



आदेश क्रमांक -32/12-2015 PS(E-1)

दिनांक, पंचकूला -15-01-2020

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Bansi Vidya Niketan, Ghughera, Distt. Palwal** को कक्षा 1 से 8 तक **CBSE** से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दी जाती है कि यह सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यालय का स्तर बढ़ाने हेतु मान्यता के लिए अलग से आवेदन किया जायेगा। विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक **8/84-2018 PS(E-1)**, दिनांक **08-07-2019** में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा। विद्यालय का कोड नं० **4186/PWL/8<sup>th</sup>/BOSE/2019** है।

DR. VANDANA DISODIA  
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.  
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION  
HARYANA, PANCHKULA

पृष्ठांकन-क्रमांक-सम

दिनांक, पंचकूला - 17/01/2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक समीति, **Dagar Vishwa Bharti Shiksha Samiti, Bansi Vidya Niketan, Sohna, Samalpur Road, Rajeev Colony, Sector-56 A, Ballabgarh, Faridabad.**
2. सचिव, **CBSE Shiksha Kendra, 2 Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092.**
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, **Bhiwani.**
4. जिला शिक्षा अधिकारी, **Palwal.**
5. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, **Palwal.**
6. मुख्याध्यापक, **Bansi Vidya Niketan, Ghughera, Distt. Palwal.**
7. टैक्नोलोजी ऑफिसर (लोकल)।

SUPERINTENDENT PS (E)  
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION  
HARYANA, PANCHKULA